चाही है। ऐसी स्थिति में इस भूमि पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में दिखाई देता है।

अप्रार्थी सं. (1) प्रार्थीगण की भूमि के अलावा स्थित भूमि जिसमें आरडीएसएकटी के नाम से आवासीय योजना विकसित कर रखी है कि आड में प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने की आशंका जाहिर की है। जबकि ख.नं. 865 का अप्रार्थी सं. (1) ने सीमाज्ञान करवा लिया है जिसका उल्लेख प्रार्थीगण ने शपथपत्र किया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी ख.नं. 865 से जबरन बेदखल किया जाता तो अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर तावेसलावाद अप्रार्थी को इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ख.नं. 865 पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए (without due process of court) प्रार्थी को जबरन बेदखल न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से दाखिल हो।

(अ)

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (जयपुर)